

:: आदेश ::

प्रेसीडेन्सी द इन्टरनेशनल स्कूल, भिवाड़ी (जालंधर) को राजस्थान के सरकारी शिक्षण संस्था मान्यता एवं अनुदान नियम-1993 से तालमेल लिए गये संशोधन अर्न्तगत प्रदत्त शर्तियों का उपयोग करते हुए सन् 2002-2003 से उच्च प्राथमिक स्तर (अंग्रेजी माध्यम) की मान्यता परिशिष्ट ता एवं उनके द्वारा दिये गये अध-ध है आधार पर संस्था में समस्त अध्यापक प्रशिक्षित होने को गारंटी कर दी जाती है।

मान्यता नियमों की बालता न करने अथवा तथ्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय विपरीत स्थिति पाए जाने पर संस्था की मान्यता रद्द की जा सकती है। यदि संस्था हिन्दी माध्यम के मान्यता प्राप्त है तो संस्था की हिन्दी माध्यम की मान्यता निरस्त की जाती है।

विभागा शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा जालंधर।

क्रमिक-विभागा/प्रारि/अ/संस्था-2/क्र-ना000मा/02-03/अ

प्रतिलिपि निम्न को सूचार्थ से आचार्य कार्यावाही हेतु प्रेषित है-

- 1] निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- 2] शिक्षा उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जालंधर जालंधर।
- 3] जालंधर प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (विभागा) जालंधर।
- ✓ 4] व्यवस्थापक/सचिव प्रेसीडेन्सी द इन्टरनेशनल स्कूल, भिवाड़ी, जालंधर।

5] कार्यालय-प्रति।

विभागा शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा जालंधर।